

संघ प्रदेश दमन एवं दीव प्रशासन
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

मोटी दमण

सं.एफएसएसए/डीडी/ डीएमएन-गुटखा/2013-14/H-28 दिनांक: 29.04.2013

जाहिर सूचना

संघ प्रदेश दमण दीव के खुदरा एवं फुटकर और उत्पादक करते हुए व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि तम्बाकू और/या निकोटिन या मेग्नेशियम कार्बोन्ट युक्त खाद्य सामग्री जैसे कि गुटखा, पान मसाला जैसी किसी भी खाद्य पदार्थ के नाम से पहचानी जाती है वैसी हरेक खाद्य पदार्थ के उत्पादन, संग्रह, वितरण या बिक्री के लिए दिनांक 01 मई 2013 से फूड सेफ्टि कमिश्नर, दमण और दीव सं.प्र., दमण फूड सेफ्टि और स्टैंडर्ड एक्ट- 2006 के अंतर्गत जाहिर जनता के स्वास्थ्य के हित में प्रतिबंधित किया गया है, जिसकी जानकारी हरेक लोगों को दी जाती है।

दिनांक 01 मई 2013 से कोई भी व्यक्ति तम्बाकू और या निकोटिन या मेग्नेशियम कार्बोन्ट युक्त खाद्य सामग्री उत्पादन, संग्रह, वितरण या बिक्री करेंगे तो फूड सेफ्टि और स्टैंडर्ड एक्ट -2006 के अंतर्गत अपराध के पात्र बनेंगे जिसकी जानकारी हरेक व्यापारियों को दी जाती है।

चौ.सु. सुलतान

(डॉ.के.वाय.सुलतान)

डेसिग्नेटेड ओफिसर/निदेशक

चिकित्सा ओर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

तम्बाकू छोड़िए स्वस्थ और दीर्घ जीवन जिये।

NO. IP/DMN/2/5/13-14/54

dt: 30/4/2013